आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 449/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

किपस हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 501, पांचवी मंजिल, क्रिस्टल मॉल, प्लॉट नं. ए/3, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती संतोष देवी,
   पताः— प्लॉट नं. ए—136, निकी टाऊन, पदमार्क रघुनाथपुरा, कानोता, आगरा रोड़, जयपुर।
2. श्री सुनील कुमार मीणा,
   पताः— प्लॉट नं. ए—136, निकी टाऊन, पदमार्क रघुनाथपुरा, कानोता, आगरा रोड़, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 418, पदमार्क नाडुला बाबा का टीला, गोलीमार गार्डन, कैलाशपुरी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 76, गुलाब नगर स्कीम, केशव नगर के पास, केशव विद्यापीठ रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
3. श्री प्रकाश बाबू मीणा,
   पताः— प्लॉट नं. 418, पदमार्क नाडुला बाबा का टीला, गोलीमार गार्डन, कैलाशपुरी, ब्रह्मपुरी, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. ए—136, निकी टाऊन, पदमार्क रघुनाथपुरा, कानोता, आगरा रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :—

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 27.07.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **04.09.2019** को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती संतोष देवी मीणा** के स्वामित्व की सम्पति **प्लॉट नं. 76, गुलाब नगर स्कीम, केशव नगर के पास, केशव विद्यापीठ रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, क्षेत्रफल 66.91 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल राशि **10,28,372/—** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **10.10.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को **10,28,372**/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **11,34,324**/—रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **10.10.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अत : The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती संतोष देवी मीणा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **प्लॉट नं. 76, गुलाब नगर स्कीम, केशव नगर के पास, केशव विद्यापीठ रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, क्षेत्रफल 66.91 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक **27.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner